भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2484
उत्तर देने की तारीख-04/08/2025

प्राथमिक कक्षाओं में तीसरी भाषा शुरू करना

2484. **श्री तारिक अनवर:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों को प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए तीसरी भाषा शुरू करने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक लागू किया जाएगा; और

(ग) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने इसे पहले ही लागू कर दिया है और कार्यान्वयन का वर्ष क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से **(ग)** राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020, अन्य बातों के साथ-साथ, पैरा 4.13 में यह प्रावधान करती है कि संवैधानिक प्रावधानों, लोगों, क्षेत्रों और संघ की आकांक्षाओं और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के साथ-साथ राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए त्रि-भाषा फॉर्मूला लागू किया जाना जारी रहेगा। तथापि, त्रि-भाषा फॉर्मूले में अधिक लोचशीलता होगी और किसी भी राज्य पर कोई भाषा नहीं थोपी जाएगी। बच्चों द्वारा सीखी जाने वाली तीन भाषाएँ राज्यों, क्षेत्रों और निश्चित रूप से स्वयं छात्रों की पसंद होंगी, जब तक कि तीन में से कम से कम दो भाषाएँ भारत की मूल भाषा हों। विशेष रूप से, जो छात्र जिन तीन भाषाओं का अध्ययन कर रहे हैं उनमें से एक या अधिक को बदलना चाहते हैं, वे कक्षा **6**

या 7 में ऐसा कर सकते हैं, जब तक कि वे माध्यमिक विद्यालय के अंत तक तीन भाषाओं (साहित्य स्तर पर भारत की एक भाषा सहित) में बुनियादी दक्षता प्रदर्शित करने में सक्षम हों।

स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 का उद्देश्य हमारे सभी छात्रों को कम से कम तीन भाषाएँ सीखने में सक्षम बनाना है, ताकि हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी होने तक छात्र तीन भाषाओं में स्वतंत्र रूप से पढ़ने और लिखने में दक्षता हासिल कर सकें। इन तीन भाषाओं आर 1, आर 2, और आर 3 - में से कम से कम दो भारत की मूल भाषा होनी चाहिए।

आर1 वह पहली भाषा है जिसमें छात्र साक्षरता सीखते हैं, आदर्श रूप से उनकी मातृभाषा या, यदि संभव न हो तो, राज्य की भाषा, जिसमें 8 वर्ष की आयु तक दक्षता अपेक्षित होती है, आर 2, आर 1 से भिन्न दूसरी भाषा है, जिसमें दक्षता 11 वर्ष की आयु तक प्राप्त की जानी चाहिए और आर 3, आर 1 और आर 2 से भिन्न तीसरी भाषा है, जिसमें प्रवीणता 14 वर्ष की आयु तक लक्षित है।

इसके अलावा, शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें एनईपी 2020 की भाव के अनुरूप त्रिभाषा नीति के कार्यान्वयन का निर्णय ले सकती हैं।

****